Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

| | OFF. | RESI. |
|---|---|---|
| V.C. : | 2570450 | 2570263 |
| REGI. : | 2570301 | 2570882 |

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
# CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./4109 /2018

दिनांक : 10/05/2018

## सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा **चौ० इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 (01 यूनिट)** सीट्स की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांकः 01.07.2018** से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
3. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है या मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
4. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. बी०एड० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई०, उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग, शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव

*प्रतिलिपिः*– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, **चौ० इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम का सत्र 2016–17 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। **अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में दिनांकः 01.07.2018 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।**
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव